



जन घोषणापत्र

लोकसभा चुनाव 2014 के लिए





जन घोषणापत्र

By



वादा न तोड़ो अभियान

गरीबी, सामाजिक बहिष्कार व भेदभाव को समाप्त करने के
सरकार के अपने वादे के प्रति सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करें

पृष्ठभूमि एवं कार्यप्रणाली

वादा न तोड़ो का आम चुनाव 2014 में देश भर के गरीब और बहिष्कृत लोगों का घोषणापत्र उनकी की मांगों, उनकी चिन्ताओं एवं आकांक्षों को आवाज देने का एक प्रयास है। चुनावों के समय राजनीतिक दल भी पांच साल के लिए अपने वादों एवं दावों का मानचित्र प्रस्तुत करते हैं। ऐसे समय में देशभर में चार लाख नागरिकों से भी अधिक लोगों को सम्मिलित कर स्थानीय स्तर पर उनसे परामर्श एवं बातचीत कर एक राष्ट्रीय एजेंडा तैयार किया गया है जिसमें लोगों के विकास, अधिकारों, सेवाओं, प्रशासन एवं उत्तरदायित्वों का समावेश किया गया है। यह प्रयास उन नागरिकों को एक अवसर प्रदान करता है जो सीधे-सीधे आने वाले चुनावों से जुड़े हैं देश के भविष्य के लिए उनकी मांगों को एक स्वर दिया गया है।

वादा न तोड़ो अभियान के सहयोगियों की सहायता से देशभर के 24 राज्यों के 210 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों से परामर्शी प्रक्रिया से यह तैयार किया गया है। निर्वाचन क्षेत्रों का चुनाव राजनीतिक महत्व (रायबरेली, अमेठी, वाराणसी उत्तर प्रदेश से) तथा विकास

की न्यूनतम दर (जैसे ओडिशा का कालाहांडी) को ध्यान में रखकर किया गया है। इस में बड़ी संख्या में सामाजिक संगठनों, लोगों के नेटवर्क, छात्र समूहों, दलित एवं आदिवासी समूहों एवं अन्य नेटवर्क के माध्यम से उन लोगों से जो हाशिए के वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी विस्तृत चर्चा की गई है। गांवों में हुई मीटिंगों, पंचायतों, कसबों, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के जिलों में की गई सभाओं के आधार पर यह 'मांगपत्रों' तैयार किया गया है। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर यह घोषणापत्र सभी राजनैतिक दलों के लोकसभा में खड़े प्रत्याशियों से, ड्राफ्टिंग कमिटी के सदस्यों से, नागरिकों के लिए उनकी राजनितिक प्रतिबद्धता के लिए उनसे साझा किया गया है।

इस योजना का प्रतिनिधित्व वादा न तोड़ो अभियान (WNTA) द्वारा किया गया जिसमें 4000 से अधिक सामाजिक संस्थाएं एवं लोगों के संगठन जुड़े हैं जो 'सरकार को गरीबी, सामाजिक बहिष्कार एवं भेदभाव मिटाने के लिए जिम्मेदार ठहराने' के लिए काम कर रहे हैं।

लोगों की आवाज

लोगों का यह घोषणापत्र स्पष्ट रूप से असमानताओं एवं किए गये वादों को पूरा करने को प्रतिबिम्बित करता है – खास कर स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, स्वच्छता तथा खाद्य सुरक्षा के बारे में। गौर तलब है कि सबसे गरीबों एवं बहिष्कृतों को व्यवस्थित ढंग से विकास एवं आर्थिक प्रगति के लाभ से वंचित रखा गया है। यद्यपि कल्याणकारी योजनाएं एवं सुधारों की नीतियां तो पर्याप्त हैं पर लोगों ने संरचनात्मक समायोजन की मांग की जिससे कि गहरे तक व्याप्त भेदभाव के आधिपत्य को समाप्त किया जा सके। बातचीत में प्रमुख बात यह भी निकल कर आई कि निजी क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, भूमि अधिकारों, वन संरक्षण प्राकृतिक संसाधनों, न्याय प्रदाता मजबूत व्यवस्था, हाशियाकृत एवं असुरक्षित वर्ग सहित सभी के

अधिकारों की सुरक्षा खासकर महिलाओं, बच्चों, दलितों, मुसलमानों, आदिवासियों, विक्लांगों एवं समलैंगिक समुदायों (LGBT community) की सुरक्षा की आवश्यकता है। लोगों का यह घोषणापत्र नितान्त रचनात्मक समीक्षा है जिसमें बड़े सामाजिक स्तर पर आलोचनात्मक कमियों प्रभाव एवं क्षमता से समझौता किए जाने की आलोचना की गई है। प्रशासन की सिफारिशों, योजनाओं का विकेन्द्रीकरण एवं संसाधनों का आवंटन आदि महत्वपूर्ण कारक हैं जो कि आने वाली सरकार के राजनैतिक एवं सामाजिक समीकरणों को प्रभावी ढंग से लागू करने में सहायक हैं। यह घोषणापत्र राष्ट्रीय अखंडता के साथ-साथ बहिष्कृतों के अधिकारों की रक्षा खास कर उनके विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखने को प्राथमिकता देता है।

लोगों द्वारा पिछले दशक में देश की समीक्षा

पिछले दो दशक में देश ने आर्थिक एवं सामाजिक सुधारों के बड़े सोपान चढ़े हैं। गरीबों के लिए तथा प्रगतिशील सुधारों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत के लिए बजट आवंटन किया गया है। परन्तु अभी भी आर्थिक वृद्धि एवं सुधार नीतियां राज्य एवं सामाजिक समूहों में विषमता को कम करने में नाकाम रही हैं। लोगों की आर्थिक आय नहीं बढ़ी है। बड़ी संख्या में प्रगति एवं सामाजिक सुरक्षा देने में ये कार्यक्रम एवं नीतियां अप्रभावी या असफल रही हैं।

भारत में बहिष्कार गरीबी का केन्द्रीय आयाम (प्रमुख पहलु) हैं

जिस देश में गरीबों की दूसरी सर्वाधिक आबादी है वहां निर्धनतम लोगों, हाशिए के लोगों, आदिवासी समूहों, महिलाओं, लड़कियों के साथ जाति, धर्म के नाम पर भेदभाव किया जाता है जो कि एक समतामूलक समाज बनाने में बड़ी बाधा है। इस देश में बहिष्कृत समूहों जैसे दलित, आदिवासी, मुसलमान और अन्य अल्पसंख्यकों की दुनिया में सर्वाधिक संख्या यानी 1.2 बिलियन है जो कि कुल जनसंख्या का 38 प्रतिशत है।

असमानता का मुख्य कारण भेदभावमूलक रोजगार एवं संपत्ति से ऐतिहासिक वंचना है जो कि सीधे-सीधे चयन की कमी के कारण है और इसका परिणाम यह है कि इन गरीब, असुरक्षित एवं अधिकारहीन लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा एवं उपयुक्त रोजगार से वंचित रखा जाता है और इस कारण एक बेहतर एवं सशक्त जीवन तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती।

महिलाओं के प्रति भेदभाव: बहुगुणी प्रभाव

कानूनी संरक्षण के बावजूद महिलाओं एवं लड़कियों के साथ अपराध यथावत है। वर्तमान दशक में भारत में कई कानून पारित किए गये हैं, खास कर वे जो महिलाओं के खिलाफ सार्वजनिक स्थानों पर हिंसा, भ्रूणहत्या, दहेज, द्विविवाह, घरेलू हिंसा, बलात्कार एवं यौन हिंसा आदि के बारे में हैं। फिर भी महिलाओं की सुरक्षा में देश असफल रहा है। महिलाओं का बड़ा तबका निरन्तर लाभन्वित होने से वंचित एवं सशक्तिकरण से दूर रहा है।

गुणवत्ता, पहुंच एवं नियोजन से संबंधित मुद्दों पर शिक्षा चौकसी रखती है

भारत के लिए शिक्षा में सहस्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्राइमरी में 100% नामांकन कर शिक्षा में संतुलन कायम करना है जिसमें लड़के एवं लड़कियों का अनुपात शुरु से पांचवीं तक बराबर होना चाहिए। जब ये प्रक्रिया शुरु हुई तो पता चला कि सीखने की गुणवत्ता, समान पहुंच इनत क नहीं है। स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक इनमें है – खास कर लड़कियों में। यह एक बड़ी बाधा है। ध्यान देने की बात यह भी है कि बुनियादी शिक्षा काफी नहीं है क्योंकि यह रोजगार या लोगों को वंचना और गरीबी से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है।

शिक्षा का अधिकार के माध्यम से शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता एवं शुरुआत अच्छी थी। पर यह योजना एवं संरचना व्यावहारिकता की चुनौती पर खरी नहीं उतरी। इसका पर्याप्त कार्यान्वयन नहीं हो पाया। जाति एवं धर्म के भेदभाव के कारण भी शिक्षा में गुणवत्ता का स्तर कम है। दलितों के बच्चे, आदिवासी एवं अन्य अल्पसंख्यक समूहों खास कर लड़कियों को अक्सर अपने सहपाठियों एवं शिक्षकों द्वारा उत्पीड़ित किया जाता है। अलग शौचालय की सुविधा न होने पर, सरोगेट पैरेंटिंग एवं घरेलू काम-काज के बढ़ते दबाव, पानी का अभाव एवं अन्य कारणों से सामान्यतः लड़कियों का स्कूल छूट जाता है।

स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छताएं व पीने के पानी तक पहुंच

मातृक स्वास्थ्य, मातृक मृत्यु का अनुपात, पांच वर्ष तक के शिशु की मृत्यु एवं कुपोषण इसमें सुधार दर काफी धीमी है जो चिन्ता का विषय है। मूलभूत सुविधाओं का अभाव, प्रशिक्षित मेडिकल चिकित्सकों का देश के कोने-कोने में पहुंचने में कठिनाई, सामाजिक प्रथाएं, महिलाओं के प्रति पक्षपात, जागरूकता का अभाव, खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ना कुछ ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से महिलाओं को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने में मुश्किलें बढ़ती हैं। स्वास्थ्य सेवा के निजीकरण एवं मेडिसिन पेंटेंट की वजह से दवाईयों के दाम बढ़े हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि गरीबों की अत्यधिक कम आमदनी की वजह से वे स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रहते हैं। अपना समुचित इलाज करा पाने में असमर्थ होते हैं। सर्वाधिक चिन्ता की बात उन बच्चों की होती है जिनके जन्म के एक महीने बाद से ही वे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं।

स्वच्छता सुविधाएं और पीने की पानी की कमी के कारण लोगों का जीवन और भी बदतर हो जाता है। गांव हो या शहर असुरक्षित पेय जल और स्वच्छता की कमी के कारण उनका जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

अच्छे रोजगार एवं आर्थिक अवसरों से होने वाले विकास एवं प्रगति से ये सबसे गरीब और हाशिए के लोग वंचित रह जाते हैं

सकल घरेलू उत्पादों द्वारा विकास लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए काफी नहीं है बल्कि जरूरी है कि असमानताओं को कम किया जाए और सामाजिक स्थितियों को सुधारा जाए। मुद्रास्फीति, खाद्य पदार्थों के दामों में वृद्धि, रोजगारों की कमी ने तरक्की में बाधा उत्पन्न की है खासकर निम्नतर स्तर की 20 प्रतिशत आबादी का जीना मुहाल कर दिया है। अच्छे रोजगारों की कमी, असुरक्षित काम की स्थिति खासकर महिलाओं के लिए, बालश्रम की प्रथा का जारी रहना, कृषिक्षेत्र की धीमी गति, सुरक्षा संरक्षण का अभाव आदि अनेक ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से आय में असमानता बढ़ी है।

महंगाई एवं बाजार की गति ने खाद्य संकट उत्पन्न कर दिया है

मुख्य खाद्य फसलें जैसे चावल और बाजरा की जगह नकदी फसलों ने ले ली है। इस वजह से अधिक से अधिक लोग खाद्य असुरक्षा से ग्रसित हैं एवं और पोषक भोजन तक उनकी पहुंच कम हो गई है।

प्रतिद्विन्द्वता, भ्रष्टाचार, अपराध एवं गठबंधन की राजनीति दुनिया के सबसे बड़े लोकतन्त्र, मानव अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता, जिम्मेदारी एवं हिंसा से मुक्त भारत के लिए चुनौती बनकर उभरी है

गठबंधन की राजनीति के परिणाम स्वरूप संघीय व्यवस्था अस्थिर हुई है। संसद का अधिक समय पक्षपाती बहसों में व्यर्थ होता है और इसकी वजह से महत्वपूर्ण कानून एवं संसोधन लंबित रह जाते हैं। प्रशासन की खामियां, उत्तरदायित्वों का अभाव एवं मानव अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता की कमी भारत के दुनिया के समक्ष सबसे बड़े लोकतन्त्र के प्रभावशाली रिकॉर्ड के लिए चुनौती साबित हुई हैं। इसका दुष्परिणाम यह भी हुआ है कि बुनियादी सुविधाओं का उचित क्रियान्वयन नहीं होता और भ्रष्टाचार का वातावरण बना रहता है तथा सभी सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों को एवं प्रगतिशील सुधारों को कमजोर कर देता है। उदासीन प्रशासन शान्ति एवं मानव अधिकारों को भी प्रभावित करता है खासकर देश के उत्तरी-पूर्वी राज्यों एवं जम्मू-कश्मीर जैसे प्रतिकूल परिस्थितियों वाले राज्यों को।

लोगों की प्रमुख मांगे

1. उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं सभी के लिए उपलब्ध होना एवं सबकी सामर्थ्य में होना सुनिश्चित हो, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारा जाए मातृक एवं शिशु स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाए जिससे कि मृत्युदर को घटाया जा सके।

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य विधेयक को तत्काल प्रभाव से कानून बनाया जाए साथ ही समयबद्ध सार्वजनिक वित्तपोषण की प्रतिबद्धता तय की जाए।
- अगले 5 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद 5% खर्च करने के लिए आयकर बढ़ाया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आनुपातिक स्वास्थ्य निवेश सुनिश्चित किया जाए।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और ऐसे ही कार्यक्रमों को समुदाय आधारित मजबूत उत्तरदायी तंत्र के रूप में स्थापित किया जाए।
- भारतीय जन स्वास्थ्य मानक दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन कर सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को तुरन्त प्रभाव से सुधारा जाए। 10, 000 की आबादी वाले क्षेत्र में कम से कम 23 स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति होने वाली बड़ी कमियों को विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देशों के पालन को सुनिश्चित करते हुए सुधारा जाए। गांवों को न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस किया जाए जैसे मोबाइल हेल्थ क्लीनिक (चलता फिरता चिकित्साल) जिसमें प्राथमिक चिकित्सा के सभी उपकरण हों, दक्ष स्वास्थ्यकर्मी (ASHA), चिकित्सा

सलाह, निशुल्क दवाईयां, आपातकालीन परिवहन सुविधा खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए होना सुनिश्चित किया जाए।

- ब्लॉक स्तर के अस्पतालों में ऑपरेशन की सुविधा होनी चाहिए, इमरजेंसी विशेष सेवाओं का प्रबंधन एवं हस्तक्षेप, पैथोलोजिकल प्रयोगशालाएं एवं ब्लड बैंक हों।
- जीवन रक्षक दवाईयां सभी के लिए निशुल्क उपलब्ध होना सुनिश्चित किया जाए, सामान्य दवाईयों के पर्याप्त मात्रा में उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाए, गांव के दूर दराज के इलाकों के जन स्वास्थ्य केन्द्रों में निशुल्क दवाईयों का वितरण किया जाए।
- कर्मचारियों, खासकर महिलाओं को, जो असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत हों, यौन कर्मी हों उनके लिए निशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं एवं अस्पताल में देखभाल सुनिश्चित की जाए।
- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का दृढ़ता से पालन हो विशेषकर मलिन बरियों एवं सड़कों पर रहने वालों के लिए।
- निजी मेडिकल क्षेत्रों से, जिनमें बड़े स्तर पर देश के बहुत बड़े वर्ग का धन लगा होता है, स्वास्थ्य नियमों का पालन जबरन करवाया जाए जिससे कि स्वास्थ्य की स्थिति को नियन्त्रण में किया जा सके। क्लीनिकल इस्टाब्लिशड एक्ट को सभी राज्यों में अनिवार्य किया जाए जिसके अनतर्गत सभी निजी चिकित्सालयों, अस्पतालों को नियम का पालन करने एवं गरीबों के लिए निशुल्क बिस्तर एवं इलाज कराना सुनिश्चित हो।
- महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित

कार्यक्रमों में भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए एवं सुधारों को क्रियान्वित किया जाए। सेवा आपूर्ति करने के लिए बजट का आवंटन बढ़ाया जाए। संरक्षण तंत्र का विकास सुनिश्चित किया जाए।

- जननी सुरक्षा योजना का क्रियान्वयन प्रभावी रूप से किया जाए। सस्थानगत डेलीवरी को प्रमुखता दी जाए उन्हें बढ़ाया जाए, शिशु के जन्म के पूर्व एवं नवजात शिशु के लिए विशेष सुविधा प्रदान की जाए।
- वर्ष 2018 तक 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर 1000 पर 42 कम की जाए एवं 2020 तक शिशु मृत्युदर 1000 पर 27 कम की जाए।
- वर्ष 2020 तक मातृक मृत्युदर 100,000 पर 109 कम की जाए।
- स्वास्थ्य सेवा का दायरा बढ़ाएं जिसमें सामाजिक अवधारक जैसे स्वच्छ जल तक पहुंच, स्वच्छता सुविधाएं, मानसिक स्वस्थता, विभिन्न प्रकार की अक्षमता वाले लोगों के साथ भेदभाव रहित मानक तय किए जाएं।
- सरकार द्वारा संचालित बुनियादी सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आजीविका आदि में सामाजिक संगठनों की भूमिका को भी स्थापित करें।

2. सुरक्षित पीने का पानी और स्वच्छता सुविधाएं तक पहुंच सुनिश्चित कर स्वास्थ्य को बढ़तर होने से बचा सकते हैं

- सभी शहरी क्षेत्रों में शुद्ध पाइपों द्वारा जल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना, पाइपों की नियमित मरम्मत सुनिश्चित करना, विषाक्त अवयवों को जांच करने की सुविधा उपलब्ध करना, फ्लोराईड एवं प्रदूषणकारी अन्य तत्व, जल जनित रोगों से बचाव किया जाए।
- सूखा ग्रसित क्षेत्र में ट्यूबवेलों की स्थापना कर स्थानीय संस्थाओं को पानी की अतिरिक्त जिम्मेदारी निभाने को प्रोत्साहित किया जाए।
- बेहतर जल संसाधन प्रबंधन मंत्रालयों एवं विभागों के साथ जुड़ने के कार्य को क्रियान्वित किया जाए।
- जल निकायों एवं जल वितरण प्रबंधन का मालिकाना हक लेने के लिए समुदायों का क्षमता वर्धन किया जाए।
- हर गांव एवं शहर में घरेलू स्तर पर शौचालयों का प्रबंधन हों, जल निकासी एवं सेनीटेशन की

प्रभावी व्यवस्था, कूड़े का निपटान एवं पुनर्चक्रण (रिसाईकिलिंग) हो।

- स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए विशेष बजट घटक आवंटित किया जाए जिससे कि युवा लड़कियों एवं महिलाओं के लिए खासकर मासिकधर्म संबंधी स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके।

3. शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम 2009 का प्रभावी क्रियान्वयन कर शिक्षा के मौलिक अधिकार की रक्षा करना, स्कूल छोड़ने की दर पर नजर रख शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारें एवं शिक्षा के परिणाम को जाने

- सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत फण्ड शिक्षा के लिए बढ़ाएं एवं इन संसाधनों का पूरी तरह उपयोग सुनिश्चित करें।
- 1.18 मिलियन टीचरों की कमी को की भर्ती कर पूरा करें। टीचरों में 50% महिलाएं होनी चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखें जैसे प्रत्येक विषय के टीचर होने चाहिए, शिक्षा से संबंधित उपकरण, शिक्षा सामग्री, कम से कम काम के घंटे, शिक्षकों की क्वालिफिकेशन, आईटी आधारित शैक्षिक वातावरण आदि होना चाहिए।
- एक पहल शुरू करें – उम्र के अनुसार एडमीशन नियम जिसके तहत स्कूल न जाने बच्चों को स्कूल में भर्ती किया जाए।
- सभी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय बनाए जाएं, स्कूलों में लड़कियों के लिए क्रेच जैसी सुविधाएं देकर उनको शिक्षा के लिए प्रेरित किए जाएं, लड़कियों सुरक्षित रूप से स्कूल अटेंड कर सकें इसके लिए सुरक्षात्मक कदम उठाए जाएं।
- पोषक मिड डे मील के वादे को पुनर्जीवित करना, मिड डे मील बिना किसी भेदभाव के सबको देना, साथ ही भोजन की गुणवत्ता एवं सुरक्षा, निगरानी का तंत्र विकसित करना।
- स्कूल तक पहुंच में सुधार करें, देश भर में ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोले जाएं जिससे कि बच्चे को 5 किमी से ज्यादा दूर न जाना पड़े।
- शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के दायरे को 18 वर्ष तक बढ़ाया जाए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चे की उम्र 18 साल है।

- सभी स्कूलों में समावेश स्थिति पर कड़ी निगरानी रखना सुनिश्चित करना, इसमें बच्चों की विशेष जरूरतों के प्रावधानों को शामिल किया जाए।
- मातृभाषा में पढ़ाने को बढ़ावा दिया जाए; उर्दू को निर्देशन का माध्यम बनाया जाए।
- सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जाए जो कि अभी इन स्कूलों में नहीं है।

4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन से सभी के लिए भोजन सुनिश्चित करें।

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को सर्वव्यापी बनाया जाए, सभी घरों के लिए अनाज के साथ खाद्य तेलों एवं दालों को शामिल किया जाए। जो बच्चे स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं उनके लिए, लाचार-मजबूर लोगों के लिए, बेघर आबादी के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए स्पष्ट प्रावधान होने चाहिए।
- बाल विकास समेकित योजना (ICDS) का अद्यतन क्रियान्वयन किया जाए, आंगनवाड़ी-सह-क्रेच की स्थापना की जाए एवं प्रवासी तथा सड़क पर रह रहे बच्चों के लिए अस्थायी प्रबंध किया जाए, गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं के लिए पोषक तत्वों से भरपूर भोजन सुनिश्चित करें।
- मिड-डे-मील आपूर्ति में सुधार किया जाए, इसमें खाने की गुणवत्तापूर्ण पोषक तत्वों को शामिल किया जाए।
- छोटे और हाशियाकृत किसानों के लिए विकेन्द्रीकरण प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाए साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में व्याप्त मुनाफाखोरी एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएं।
- खाद्य मुद्रास्फीति एवं अनाज की जमाखोरी, सट्टाखोरी आदि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए दण्डात्मक कदम उठाए जाए।
- जागरूकता अभियान चलाकर एवं कानूनी संरक्षण प्रदान कर, भेदभाव वाली सामाजिक प्रथाओं जैसे परिवार में बच्चियों एवं महिलाओं के खाने में भेदभाव, बाल विवाह आदि को समाप्त किया जाए।
- बीपीएल कार्ड धारकों के लिए समय पर सुविधाएं जिम्मेदारीपूर्ण वितरित करना, बीपीएल कार्ड तुरन्त डिलेवर करना, विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन सुनिश्चित की जाए।

5. दीर्घकालिक विधियों के माध्यम से कृषि उत्पादकता एवं कृषि क्षेत्र को आजीविका एवं आर्थिक अवसर के लिए पुर्नजीवित करना

- दीर्घकालिक कृषि कार्य के लिए तकनीक विशेषज्ञ प्रदान करने हेतु प्रचार एवं उपाय के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाना
- जैविक खाद्य कृषि (organic farming) को बढ़ावा देना।
- किसानों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य मिल रहा है या नहीं इसे सुनिश्चित करना।
- राज्य को कृषि बीज, कृषि अनुसंधान केन्द्र, कृषि विश्वविद्यालय एवं अन्य कृषि अनुसंधान आदि की संरचना आदि में आत्म निर्भर बनाना।
- मनरेगा कार्य में कृषि श्रमिकों की भागीदारी करना।
- किसानों के लिए वित्तीय सहायता में सुधार एवं सुरक्षित करना, ऋण अनुमोदित की प्रक्रिया सरल बनाना, वित्तीय संस्थानों को ठीक करना किसान दीर्घकालीन ऋण में न फंस जाएं ये सुनिश्चित करना।
- जेनेटिक इंजीनियरिंग विधि से बीज एवं फसल उत्पादन पर प्रतिबंध; राज्य में बीज बैंक एवं पंचायत स्तर पर अनाज भण्डार के लिए निवेश।

6. शहरी गरीबों के लिए आवास को मानव अधिकारों के लिए चिन्हित कर उपयुक्त आवास स्थिति सुनिश्चित करना एवं विस्थापित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना

- राष्ट्रीय आवास नीति एवं राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कानून बनाना। शहरी गरीब आवास के लिए 25-40% शहरी गरीबों के लिए शहरी विकास योजना (CDP) के अंतर्गत अनिवार्य प्रावधान सुनिश्चित किए जाएं।
- मलिन बस्ती आदर्श संपत्ति अधिकार अधिनियम 2011 में संशोधन कर शहरी गरीबों के लिए गैर कानूनी रूप से रहने वालों एवं मलिन बस्ती में रहने वालों के प्रति दण्डात्मक कार्यवाही का उन्मूलन किया जाए।
- भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत विस्थापित लोगों की सामाजिक सुरक्षा को प्रभावी रूप से लागू किया जाए, विशेष कर महिलाएं जो सर्वाधिक प्रभावित होती हैं उन्हें पर्याप्त मात्रा में मुआवजा दिया जाए।

- प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों का पुनर्वास किया जाए।
- सभी शहरों में बेघर लोगों को उपयुक्त, रहने योग्य स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित वातावरण में आश्रय दिया जाए।

7. शहरी रोजगार के लिए प्रतिबद्ध, महात्मा गांधी (मनरेगा) अधिनियम को मजबूती से लागू करें जिससे सभी के लिए अच्छे रोजगारों का सृजन हो।

- ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार 200 दिन दिया जाए और मजदूरी का समय से भुगतान किया जाए।
- जागरूकता अभियान चलाकर, ग्रामसभा को अनिवार्य बनाकर, भ्रष्टाचार मुक्त ग्रामसभा बनाकर, पंचायत, बार-बार सामाजिक लेखा-जोखा, अधिकार आधारित मनरेगा अधिनियम के प्रभाव एवं जिम्मेदारी में सुधार किया जाए। सर्वाधिक असुरक्षित व्यक्ति को रोजगार और उसकी मजदूरी समय पर मिले ये सुनिश्चित किया जाए।
- पंचायत को साथ लेकर उचित तकनीक एवं मानव समर्थन से योजना को स्थानीय स्तर पर ले जाएं और उसका क्रियान्वयन करें।
- मनरेगा की समयावधि बढ़ाएं। एक घर से दो व्यक्ति एक पुरुष एक स्त्री लेकर दो सौ दिन का काम प्रदान करें।
- प्रत्येक राज्य में रोजगार का अवसर देकर आर्थिक प्रवास को कम करें।
- उद्यमिता को बढ़ावा दें, राष्ट्रीय आजीविका मिशन में कार्यक्षेत्र तथा बजट आवंटन बढ़ाएं, पारंपरिक आजीविका को पुनर्जीवित करें, कलाकारी दक्षता, कृषि कार्य में सुधार हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता दें।
- शहरी रोजगार कानून को लागू करें और उसका कार्यान्वयन करें।
- अंतर्राज्यीय प्रवास अधिनियम में संशोधन कर श्रम अधिकारों, न्यूनतम मजदूरी, आवास एवं सामाजिक सुरक्षा देशभर में सभी प्रवासी काम करने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

8. लोगों के वन एवं भूमि अधिकार जो कि नये कानून में दिए गये हैं कृषि उत्पादों का संरक्षण, वन एवं अन्य प्राकृतिक ससाधनों को निजी भू मालिकों एवं उद्यमियों की मुनाफाखोरी से बचाएं।

- वन अधिकार संरक्षण अधिनियम (FRA) 2006 के मजबूती से क्रियान्वयन कर आदिवासियों के जल जंगल जमीन की सुरक्षा की जाए, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर तुरन्त प्रभाव से लोगों के प्रतिनिधि नियुक्त करें।
- वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत ग्रामसभा की बिना सहमति के गैर-हस्तांतरणीय वन भूमि को विकास के उद्देश्य से उपयोग नहीं की जा सकता। इसका क्रियान्वयन करें।
- वन संसाधनों को शोषण होने वाले उपयोग से बचाएं।
- पंचायत विस्तार नियत क्षेत्र अधिनियम (PESA) 1996 का क्रियान्वयन कर आदिवासी स्वयं नियम, स्थानीय योजना एवं प्रशासन के मालिकाना हक को बढ़ावा दिया जाए।
- वन अधिकार अधिनियम के तहत वनवासियों को उनके अधिकारों और हक के लिए जागरूक करें। वन अधिकार अधिनियम के तहत बार बार सोशल ऑडिट करें और सभी मुद्दों का तुरन्त समाधान करें। पट्टा (भूमि नाम) का डेटाबेस (आंकड़ा आधार) बनाएं।
- जबरन बेदखली से दलितों की रक्षा करें, भूमिहीन दलितों को विशेष आरक्षित भूमि आवंटित करें, भूमि विवाद के निपटारे के लिए तीव्र अदालतें स्थापित करें।
- भूमि सुधार कानूनों का क्रियान्वयन करें और आवास एवं कृषि भूमि को भूमिहीन लोगों को देना सुनिश्चित करें।

9. घरेलू वातावरण एवं वैश्विक स्थिति कानून में संशोधन करें और प्राकृतिक संसाधनों का शोषण बन्द करें गरीबों के लिए स्वस्थ वातावरण, न्याय तथा स्थायित्व के लिए तकनीक का इस्तेमाल करें।

- संवेदनशील क्षेत्र में प्रस्तावित विकास परियोजना को रोकें। किसी विकास प्रोजेक्ट के मूल्यांकन के लिए उचित एवं स्वतन्त्र वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (EIA) करें ताकि नुकसान का आंकलन हो सके जिससे कि किसी प्रोजेक्ट के अनुमोदन से पहले वातावरण की हानि का मूल्यांकन लिया जा सके।
- विभिन्न पारिस्थितिक क्षेत्रों, कृषि जलवायु क्षेत्र, मानव विकास एवं आजीविका संसाधनों की रणनीतियां बनाने के लिए विकास के लिए लचीली नीति ग्रहण करें।
- शोध एवं विकास (R&D) में बड़े निवेश की मौजूदा नीतियों को मजबूत करें।
- पर्यावरण अनुकूल तकनीक एवं नवीनता को बढ़ावा दें, वैकल्पिक जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा के नवीनीकरण के लिए समयबद्ध योजना का क्रियान्वयन करें।
- पानी को संकटग्रस्त संसाधन घोषित करें, समीक्षा करें और दृढ़ता से केन्द्रीय जल आयोग के दिशानिर्देशों का क्रियान्वयन करें।
- राज्य सरकारों के लिए यह अनिवार्य करें कि वे ग्रामीण, शहरी एवं औद्योगिक क्षेत्रों में वर्षा के जल का संरक्षण करें।
- निजी क्षेत्र के उत्तरदायित्वपूर्ण व्यावसाय में पर्यावरण संवेदनशील एवं अनुकूलता को लागू करें।
- आपदा प्रबंधन कानून को लागू करके उत्तरदायी तंत्र विकसित कर इसके लिए बजट आवंटन करें। संसाधनों के आवंटन में विकेन्द्रीकरण करें इसमें कर्मचारी वर्ग, तकनीक एवं क्षमता वर्धन सुनिश्चित करें।

10. महिलाओं के लिए उनके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए बराबरी के अवसर सुनिश्चित करें, उनके लिए राजनीतिक सहभागिता और हिंसा के लिए शून्य सहनशीलता नीति (zero tolerance policy) सुनिश्चित करें।

- तुरन्त प्रभाव से महिला आरक्षण बिल पास करें।
- महिलाओं के लिए उचित एवं बराबर संसाधनों का वितरण, रोजगार एवं आय के अवसर सुनिश्चित करें। सभी क्षेत्रों में बराबरी के रोजगार अवसर प्रदान करें। सुरक्षित रोजगार स्थितियों और महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 का सख्ती से पालन करें। सभी अनुसूचित जाति उप योजना एवं जनजाति उप योजना से 50% प्रतिशत SC एवं ST महिलाओं को आवंटित किया जाए।
- घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, भारतीय दण्ड संहिता 498ए, दहेज निषेध अधिनियम के तहत हिंसा के किसी भी रूप में सश्रम कारावास की कानूनी प्रक्रिया अपना कर महिलाओं और लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करें।
- महिलाओं एवं लड़कियों के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाना और सुधारों पर अमल करना, हर गांव में कानूनी सहायता प्रकोष्ठ और महिलाओं की पुलिस चौकी स्थापित करना, महिलाओं पर हिंसा के मामलों में पुलिस को प्रशिक्षित करना और किसी भी प्रकार के उत्पीड़न के लिए दण्ड का प्रावधान करना और न्याय एवं सुरक्षा के बारे में पुलिस की किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए भी दण्ड का प्रावधान करना।
- त्वरित न्याय को सुनिश्चित करें, देशभर में शीघ्र न्याय के लिए तीव्र अदालतों की स्थापना की जाए।
- जिले के अस्पताल में फोरेंसिक लैब गठित की जाए जिससे कि घरेलू हिंसा और बलात्कार की जांच की जा सके, ऐसी सुविधाओं का निरीक्षण राज्य महिला आयोग एवं स्थानीय स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा सुनिश्चित किया जाए।
- यौनकर्मियों के श्रम अधिकार, मानव अधिकार एवं सामाजिक अधिकारों को चिन्हित किया जाए और दृढ़ता से उनका पालन किया जाए। शोषण एवं हिंसा से उनकी रक्षा की जाए, उनका पुनर्वास किया जाए, आर्थिक सहायता दी जाए, सरकार की सभी संबंधित योजनाओं एवं रोजगार के अवसरों के लिए उनकी सहायता की जाए।

- मनरेगा के बारे में लोगों को उनके हक के बारे में जागरूक किया जाए, सुरक्षित एवं समान अवसर सुनिश्चित किए जाएं। कंच एवं बच्चों की देखभाल की सुविधाएं दी जाएं, घर तक परिवहन के लिए काम किया जाए, सार्वजनिक मातृत्व लाभ (कम से कम छह महीने तक वेतन) दिया जाए।
- मौजूदा कानूनों के माध्यम से महिलाओं के भूमि, वन, संपत्ति के अधिकारों की रक्षा की जाए।
- न्यायपालिका को लैंगिक संवेदनशील बनाएं। पुलिस बल में महिलाओं को 33% अनिवार्य आरक्षण हो।
- सभी थानों में एक – एक महिला प्रकोष्ठ बनाया जाए और सभी जिलों के हेडक्वार्टर में महिलाओं का एक विशेष थाना हो।
- मौजूदा कानूनों के माध्यम से दृढ़ता पूर्वक महिलाओं के भूमि अधिकारों, वन अधिकारों एवं संपत्ति अधिकारों की रक्षा हो।
- लैंगिक संवेदनशील परिवर्तन नीति ग्रहण की जाए और प्राकृतिक संसाधनों पर महिलाओं के नियन्त्रण को बढ़ावा दिया जाए।

11. प्रत्येक बच्चे के सुरक्षित, स्वस्थ एवं जीवित रहने के अधिकार की रक्षा करें

- बच्चों के पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा में निवेश बढ़ाएं। कुल यूनियन बजट का 10% बच्चों के बजट के लिए होना चाहिए।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अधिकार के सकल घरेलू उत्पाद के 5% दर से सार्वजनिक खर्च बढ़ाया जाए। बच्चों के खिलाफ हिंसा से संघर्ष के लिए यूनियन बजट 0.03% से बढ़ाकर 0.15% बजट होना चाहिए। क्योंकि बच्चों के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है।
- पूर्व गर्भाधान एवं पूर्व जन्म नैदानिक तकनीक अधिनियम 1994 (Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (PCPNDT) Act, 1994) को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए लिंग आधारित पहचान का निषेध किया जाए। एक समर्पित प्रकोष्ठ का गठन किया जाए उसके लिए उचित बजट आवंटन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से किया जाए जो कानून का सख्ती से पालन करे।
- बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम में संशोधन किया जाए। जिसमें सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार प्रावधानों के तहत सुनिश्चित हो और राष्ट्रीय बाल नीति 2013 के अंतर्गत हो जहां 18

वर्ष से कम का हर व्यक्ति बच्चा की परिभाषा में आता है।

- आत्मनिर्भर एवं केन्द्राभिमुख निकाय की स्थापना की जाए जो राष्ट्रीय स्तर पर पोषण को संभाले, एक राष्ट्रीय पोषण नीति का विकास हो, और कुपोषण उन्मूलन के लिए निश्चित समयावधि पर सर्वे कराने का आदेश दे। जिससे कि कुपोषण उन्मूलन की प्रगति का पता चल सके। हर राज्य में जहां सर्वाधिक कुपोषण हो वहां पोषण मिशन की स्थापना की जाए।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का ओहदा केबिनेट मंत्रालय तक बढ़ाया जाए बाल विकास एवं सुरक्षा को मजबूत किया जा सके।
- पड़ोसी बच्चों की संसद, देशभर में बच्चों की ग्राम सभा, सभी नीतियों के लेख-जोखे और विकास में सहभागिता, और बच्चों से संबंधित कार्यक्रम तथा कानूनी मामलों में भागीदारी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत बच्चों की आवाज उठाना सुनिश्चित करें।

12. दलितों, आदिवासियों, मुसलमानों और अक्षम व्यक्तियों से भेदभाव एवं सामाजिक बहिष्कार के सभी रूपों का उन्मूलन

- SCP एवं TSP को कानून बनाया जाए ताकि SC एवं ST आवंटन योजना का कानूनी अनुमोदन दे सके।
- सामाजिक रूप से बहिष्कृत समूहों के हक और अधिकारों तथा भेदभाव रहित पहुंच सुनिश्चित करें।
- दलितों एवं आदिवासियों की शिक्षा, आय अर्जन एवं बुनियादी सुविधाओं के लिए कमशः विशेष अवयव योजना एवं आदिवासी उप योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से विकास की खाई को पाटा जाए।
- केन्द्र एवं राज्य स्तर पर एक-एक संस्थान की स्थापना की जाए जो विभिन्न मंत्रालयों में आवंटन, इसकी निगरानी एवं वितरण को सुनिश्चित करे।
- अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट उपयोग हेतु आवंटन एवं अन्य ऐसी ही मुसलम समुदाय का बहिष्कार समुदायों की आवश्यकता एवं आकांक्षाओं, रोजगार तंत्र में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करें।
- मुस्लिम समुदाय पर रंगनाथ मिश्रा आयोग एवं सच्चर समिति की सिफारिशों को मुसलमानों के विकास एवं सशक्तीकरण हेतु उनका क्रियान्वयन किया जाए।
- मुसलमानों के लिए भूमि पट्टा सुनिश्चित किया जाए।

- मुस्लिम समुदाय के दलितों को अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग में शामिल करो।
- दलित, आदिवासी, मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्य समुदाय के बच्चों के साथ स्कूल एवं अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव समाप्त हो। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के ग्रहण करने पर ढांचागत सुधारों के कारण उच्च वर्ग को लगता है कि उन्हें चुनौती दी गई है। वह उन्हें बहिष्कृत बनाए रखना चाहता है।
- समान अवसर कानून द्वारा रोजगार अवसरों की गारन्टी जिसके कारण पूंजी मार्केट में भेदभाव का निषेध, निर्णय लेना, कार्य स्थल की प्रक्रिया और निजी क्षेत्र में आरक्षण सुनिश्चित करना।
- रोजगार में सभी प्रकार के भेदभावों की समाप्ति, असंगठित कर्मचारी सुरक्षा बिल का अधिग्रहण एवं कानून बनाना
- बंधुआ मजदूरी व्यवस्था उन्मूलन अधिनियम 1976 ने लाखों दलितों एवं आदिवासियों को बंधुआ मजदूरी एवं समुदाय को छुटकारा दिलाया। केन्द्र एवं राज्य स्कीमों के माध्यम से उनके पुनर्वास हेतु प्रभावी कदम उठाए जाएं।
- न्यूनतम मजदूरी महंगाई एवं आर्थिक सहायता मैला ढोने वाले अधिनियम 1993 के तहत सुनिश्चित करें। व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर पुनर्वास, उपयुक्त एवं स्थायी आवास, स्वच्छता एवं पीने के पानी की सुविधा प्रदान हो।
- सामाजिक बहिष्कार, स्वास्थ्य सेवा में खास कर मातृक स्वास्थ्य, स्वच्छ पीने का पानी एवं स्वच्छता सुविधाओं में असमानता, भोजन के हक में भेदभाव रहित पहुंच, आवास एवं समुचित स्तरीय जीवन की सुरक्षा।
- महिलाएं एवं बच्चे सबसे अधिकारहीन समूह हैं इसलिए वे सबसे असुरक्षित हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एवं अन्य कानून दलित महिलाओं को हिंसा से छुटकारा दिलाते हैं, अत्याचारी पर अभियोग चलता है और उसे दण्ड मिलता है।
- साम्प्रदायिक हिंसा एवं लक्षित हिंसा (न्याय तक पहुंच क्षतिपूर्ति) बिल 2011 को पास करो। साम्प्रदायिकता के पीड़ित व्यक्ति को समय से मुआवजा मिले यह सुनिश्चित करें। जिससे कि वे सुरक्षित और गरिमा के साथ अपने घर और काम पर वापस लौट सकें, उन्हें राज्य से देखभाल और सुरक्षा मिले।
- सभी मछुआरे समुदाय को समुद्र जनजाति एवं जल जनजाति घोषित किया जाए एवं पानी एवं समुद्र में

मछली पकड़ने का अधिकार दिया जाए।

- अक्षमता बिल 2009 को पास किया जाए और इसकी सिफारिशों को तुरन्त लागू किया जाए।
- अक्षम व्यक्तियों के लिए पुनर्वास, स्वास्थ्य सेवा, दक्षता प्रशिक्षण एवं विशेष शिक्षा हेतु बजट का आवंटन किया जाए।
- अक्षम लोगों के लिए सभी सार्वजनिक संरचना, परिवहन व्यवस्था एवं अस्पताल तथा स्कूल में अनिवार्य आदेश होना चाहिए जिससे कि वे इन संसाधनों का उपयोग निशुल्क कर सकें।
- वैधानिक संस्थानों जैसे महिला आयोग, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और अक्षम लोगों के लिए विशेष कर राज्यों में उनके कार्यों में सुधार किया जाए, आयोगों के चेयर परसन एवं सदस्यों की नियुक्ति का मानदंड स्पष्ट एवं पारदर्शी होनी चाहिए आयोगों को पांच वर्ष की योजना बजट एवं आवश्यकता के अनुसार हो।

13. भारतीय ढण्ड संहिता का अनुभाग 377 जो स्रमलैंगिकता को अपराध की श्रेणी में रखता है खारिज किया जाए, स्रमलैंगिक स्त्री, स्रमलैंगिक पुरुष, द्वि लिंगी एवं किन्नर समुदायों को कूरता से बचाने के लिए समुचित सुरक्षा उपाय किए जाएं, वे स्रमान अवसर एवं गरिमापूर्ण जीवन जीएं यह सुनिश्चित करें।

- सभी यौन अल्पसंख्यों को समान अवसर एवं गरीबों को विशेष प्रावधान तथा वित्तीय सहायता, आवास प्रदान किए जाएं।
- किन्नर समुदाय या तीसरे लिंग ('third sex') को कानूनी, सामाजिक एवं आर्थिक मान्यता दी जाए। किन्नर आबादी को सामाजिक दायरे में लाया जाए, उनके आर्थिक हक, रोजगार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य तक पहुंच, दक्षता विकास एवं लिंग परिवर्तन को कानूनी दर्जा दिया जाए।

14. युवाओं को प्रोत्साहित करना, उनकी पूरी सामर्थ्य, महत्वाकांक्षाओं को सक्रिय करना

- युवाओं को राजनीति में, कानून एवं प्रशासन में प्रमुख रूप से रखें। विधानसभाओं एवं कैबिनेट में

उनके लिए 35% प्रतिनिधित्व मिले। इसमें से 50% आरक्षण महिलाओं के लिए हो।

- शिक्षा को प्रासंगिक एवं प्रभावपूर्ण बनाएं।
- सभी के लिए विकाससक्षम रोजगार के विकल्पों की सृष्टि करें। अपने कसबों में उन्हें सम्मानीय रोजगार की गारन्टी दें, दसवीं से अधिक पढ़े युवाओं के लिए विशेष रोजगार के अवसर प्रदान करें, बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिले।

15. प्रशासन एवं बजट आवंटन में महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व की प्रतिज्ञा

- सार्वजनिक सेवा में शिकायतों में सुधार का कानून
- सरकारी कार्यक्रमों के वित्तीय एवं परिचालन संबंधी वितरण नियमित रूप से तैयार किए जाएं और सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध हों
- सूचना के अधिकार, सोशल ऑडिट एवं सतर्कता समितियों के माध्यम से जन सहभागिता और निगरानी कर तंत्र को मजबूत करें।
- केन्द्रीय प्रायोजित प्रमुख कार्यक्रम के माध्यम से समाज के सक्रिय लोगों की भागीदारी द्वारा जनता एवं लाभार्थियों को जागरूक किया जा सकता है। उत्तरदायी संरचना के अधिकारों को वैधानिक रूप से लागू किया जाना चाहिए।
- प्रगतिशील कर-निर्धारण से फण्ड सामाजिक क्षेत्र में खर्च करने के लिए संसाधनों को मोबलाइज करें। प्रत्यक्ष कर (डायरेक्ट टैक्स) बढ़ाना एवं अप्रत्यक्ष टैक्स (इनडायरेक्ट टैक्स) घटाना क्योंकि वह गरीबों और अधिकारहीनों पर बुरा असर डालता है।
- हर गांव में एक सामाजिक न्याय समिति (SJC) की नियुक्ति की जाए जिसमें चैयर परसन दलित या आदिवासी समुदाय का हो, बजट का समुचित आवंटन सुनिश्चित करें।
- ग्राम पंचायतों की जवाबदेही लागू करें। रिपोर्टों की पूरी तैयारी के साथ नियमित ग्राम सभा की मीटिंग करनी चाहिए।
- अच्छा काम करने वाली पंचायत को अनिवार्य बनाया जाए ताकि पंचायत भलीभांति काम कर सके। इसी प्रकार ब्लॉक स्तर पर पंचायत अच्छी तरह काम कर सकें। कल्याणकारी योजनाओं की सतर्कता समिति अनिवार्य बनाएं।
- सरकार के कार्यक्रमों में सामाजिक संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण है।
- प्रगतिशील कर-निर्धारण से फण्ड सामाजिक क्षेत्र में खर्च करने के लिए संसाधनों को मोबलाइज करें।

प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स बढ़ाना एवं अप्रत्यक्ष टैक्स या इन डायरेक्ट टैक्स घटाना क्योंकि वह गरीबों और अधिकारहीनों पर बुरा असर डालता है।

- बुनियादी सेवा बजट में घाटे के लिए वेल्थ टैक्स पुनः स्थापित किया जाए।

16. न्याय तक पहुंच एवं मानव अधिकारों को मजबूती एवं प्राथमिकता

- सभी जन-विरोधी, लोकतंत्र विरोधी कानूनों का उन्मूलन किया जाए जैसे आर्म फोर्सिंग (स्पेशल पॉवर) एक्ट (AFPSA) राजनैतिक रूप से विभिन्न क्षेत्रों में झगड़े का कारण है। पुलिस एवं न्यायिक अधिकारियों को शान्ति और मानव अधिकारों के लिए पहल करनी चाहिए।
- पुलिस एवं न्यायिक सुधारों का फोकस अधिकारहीन समूहों एवं तीव्र अपीलों पर हो। डी.के. बसु के दिशानिर्देशों को क्रियान्वित किया जाना चाहिए ताकि गैर कानूनी गिरफ्तारी एवं टॉर्चर से बचाव सुनिश्चित हो सकता है।
- साम्प्रदायिक सद्भाव एवं राष्ट्रीयता एकता को प्राथमिकता दी जाए।
- सामाजिक कार्यक्रमों में काम करने वालों में माओवादी अपराधियों को रोको। कुछ लोग माओस्टि हैं और उनके इलाके में स्थिति बुरी है। पुलिस वाले कहते हैं कि माओवादी हिंसा में विश्वास करते हैं।
- राज्य द्वारा भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम में जुटे लोगों को अपराधी कहने से रोका जाना चाहिए। इसी प्रकार विहिसब्लोअर एक्ट को प्रभावी ढंग से लागू करने की जरूरत है।
- स्वयं निश्चय अधिकार लोगों को चिन्हित किया जाए एवं उनकी सुरक्षा की जाए। उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर एवं माओवादियों का क्षेत्र जहां हथियारों झगड़े एवं बगावत हो जाती है। आम लोगों के अधिकारों की रक्षा की जाए।
- एक शान्ति प्रदाता आयोग बनाया जाए उसका कार्यान्वयन कर निरीक्षण किया जाए। झगड़ा संभावित क्षेत्रों में पारदर्शिता एवं शान्ति प्रक्रिया बहाल कर झगड़े से मुक्ति दिला सकता है।
- उत्तरी-पूर्वी मेट्रो शहर के युवाओं पर नस्लवादी हमले रोके जाने चाहिए, भारत सरकार ने 1968 में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन में नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन की बात कही थी।
- हिंसा पीड़ितों एवं झगड़ों के पीड़ितों खासकर महिलाओं एवं बच्चों के लिए पुनर्वास एवं कल्याणकारी

फण्ड हो, विधवाओं एवं अनाथों, यौन हिंसा पीड़ितों, हिंसा पीड़ितों, मानव तस्करी के पीड़ितों एवं अन्य अधिकारहीन क्षेत्रों के पीड़ितों, बहिष्कृत समुदायों और आर्म कंप्लेक्ट पीड़ितों के लिए पुनर्वास एवं कल्याणकारी फण्ड स्थापित किया जाए।

17. ग्रामसभा एवं स्थानीय सरकार के कार्यों को मजबूती प्रदान करना

- प्राकृतिक संसाधनों पर ग्राम सभा के दावे का सम्मान करना चाहिए।
- 73 एवं 74 वें संविधान संशोधनों के अनुसार बजटीय आवंटन कर पंचायत एवं शहरी स्थानीय सरकार में शक्ति के हस्तांतरण सुनिश्चित करें।
- एक ही जिम्मेदारी एवं उद्देश्य को लेकर समानान्तर केन्द्र एवं राज्य सरकार में बनी सस्थाओं/अधिनियमों को मिला देना चाहिए जिससे जिम्मेदारियों के लिए दोहराव से बचा जा सके।
- पंचायत को पर्याप्त मानव संसाधन का समर्थन प्रदान करें एवं सामाजिक संगठनों की सहायता से क्षमता वर्धन कार्यक्रम किए जाएं।



WADA NA TODO ABHIYAN

**Holding the Government Accountable to its Promise to
End Poverty, Social Exclusion & Discrimination**

C-1/E, SECOND FLOOR, GREEN PARK EXTENSION, NEW DELHI-110016, INDIA
Phone No. +91-11-46082371/73/74 Fax: +91-11-46082372

Email id: info.wadanatodo@gmail.com

Website: www.wadanatodo.net